न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 54 / 2014 (उदयपुर डिक्री)

1. भेरा पिता हीरा जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. उंकार पिता हीरा जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. गंगाराम पिता मोड़ा जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. नारायण पिता मोड़ा जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. तोलाराम पिता मोड़ा जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती अमरी पिता मोड़ा जी डांगी पत्नी हीरालाल जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, हाल नौखा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती हरकु पत्नी मोड़ा जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रतनजी पिता सोहन जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. शंकर पिता सोहन जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती मोहनी पिता सोहन जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती साई बाई पिता दला जी डांगी पत्नी तेजा जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, हाल निवासी कानपुर खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

5. श्रीमती केसी पिता दला जी डांगी पत्नी शंकरलाल जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, हाल निवासी कानपुर खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
6. श्री महादेवजी स्थान मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा जरिये व्यवस्थापक श्री वेणीराम पिता श्री उमाजी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, हाल निवासी कानपुर खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
का0 अ0–1955 विरूद्ध निर्णय व अंतिम
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक
19–06–2014 प्रकरण संख्या 300/11

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री हर्षद जोशी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री मनोज पंवार राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 30–11–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 9 रकबा 0.6350 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 673, 679 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा थे। साबिक आराजी नंबर 679 की हाल आराजी नंबर 1558 आराजी चाह है, जिसमें वादीगण का 1/5 हिस्सा निहित है तथा शेश आराजियात कुलिया रकबा 0.6200 हैक्टर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी में अंकित होकर अपने–अपने पूर्वाधिकारी की शाखा में हिस्से अनुसार काबिज हैं। उक्त भूमि के मूल पुरूष वादीगण संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारी सवा, हीरा पिता नन्दा डांगी के 1/2 हक व हिस्से से तथा वादी

संख्या 3 से 7 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वाधिकारी श्री मेघा वल्द अणन्दा डांगी के 1/2 हिस्से से दर्ज था तथा आराजी चाह में वादीगण व प्रतिवादी 1 से 3 के पूर्वाधिकारियों का 1/10, 1/10 हिस्सा निहित था, जिसका राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 1987 में अंकन है। मेवाड़ बन्दोबस्त के बाद संवत् 2017 से 2020 की जमाबन्दी में उक्त आराजियात वादीगण के पूर्वाधिकारियों के नाम सवा, हीरा वल्दा नन्दा के बजाय त्रुटि पूर्ण रूप से नन्दा वल्द किसना दर्ज कर दिया गया है, जबकि नन्दा वल्द किसना नाम का कोई भी व्यक्ति मनवाखेड़ा में नहीं है न ही रहा है। इसी प्रकार मेघा वल्द नन्दा का नाम भी गलत दर्ज कर दिया गया है, जबकि मेघा वल्द अणदा था, जिसके वारिस वादीगण 3 से 7 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हुए।

पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार है, जिसमें नन्दा मूल पुरूष के दो पुत्र सवा व हीरा हुए। सवा लावारिस फोत हुआ जबकि हीरा के दो पुत्र भूरा व उंकार वादी संख्या 1 व 2 हैं। वारिस वादीगण 3 से 7 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मेघा के वारिसान हैं। मूल पुरूष मेघा जी के दो पुत्र मोड़ा व दला हुए। मोड़ा के वारिस वादीगण संख्या 3 से 7 हैं, जबकि दला के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वाधिकारी सवा, हीरा पिता नन्दा डांगी व मेघा वल्द अणन्दा डांगी मेवाड़ बन्दोबस्त की जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 में बहक खड़मदार दर्ज थे तथा खड़मदार को भूमि का लगान रियासत कालीन सरकार में जमा नहीं करवाकर मंदिर मूर्ति जिसके नाम से भूमि दर्ज है, उसके उचित रख–रखाव व दैनंदिनी व्ययों को ऐसे खड़मभोक्ता को निर्वाह करने का रिवाज रहा है, जिसका निर्वहन वादीगण तथा उनके पूर्वाधिकारी सम्यक रूप से निरन्तर करते चले आ रहा हैं। खड़मदार को सभी कृषक वर्गो में उच्चतर श्रेणी के पूर्णतया अन्तरण/हस्तान्तरण व हेरीटेबल राईट्स मेवाड़ माल कानून अनुसार प्राप्त थे। उन्हीं अधिकारों के अध्यधीन वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जो कि उनके पौत्र पुत्रादि एवं कानूनी वारिस हैं, उक्त भूमि के मालिक काबिज हुए। संवत् 2042 में बन्दोबस्त के पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी आधार के महादेवजी स्थान देह के नाम दर्ज कर दी गयी, जो त्रुटि पूर्ण है। सेटलमेन्ट विभाग को पूर्ववर्ती इन्द्राज को ही दोहराना होता है। निवेदन किया कि

विवादित आराजियात का पक्षकारान को खातेदार काश्तकार हस्ब सजरा घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा व विधिक अनुतोष भी दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी संख्या 4 श्री महादेवजी स्थान देह की ओर से जरिये व्यवस्थापक श्री वेणीराम की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 4 का नाम बदस्तूर रखे जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादीगण अपने मौरूस सर्व श्री सवा, हीरा पिता नन्दा तथा मेघा वल्द अणदा जी डांगी के वारिसान हैं उनकी खड़म की भूमि राजस्व ग्राम मनवाखेडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में स्थित साबिक आराजी नंबर 673, 679 किता 2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि से बनने वाले हाल आराजी नंबर 1558, 1565 से 1571 व 1575/2395 कुल किता 9 रकबा 0.6300 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
2. आया वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर अपने पूर्वजों मूल खातेदारान/ खड़मदारों के समय से वास्तविक रूप से मौके पर काबिज चले आ रहे हैं ? ..... वादीगण
3. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध वाद घोषणा, खातेदारी हक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
4. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 19–06–2014 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में 24–11–2014 को पेश की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19–06–2014 के निर्णय की जानकारी उन्हें हाल ही में दिनांक 31–10–2014 को हुई। अधिवक्तागण की हड़ताल इत्यादि रहने से व अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके इसलिए निर्णय की समय पर

जानकारी नहीं हो पायी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद पेश कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में आयुक्त देवस्थान को दिनांक 29–02–2016 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 6 के नोटिस अखबार में साया करवाकर पेश किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री मनोज पंवार उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र राजस्व ग्रुप 6 के परिपत्र दिनांक 24–05–2007 को ही अपने निर्णय में सम्मिलित करते हुए अविधिक निर्णय पारित कर दिया, जबकि कानून की स्थिति बहुत स्पष्ट है कि रियासत काल के दौरान काश्तकारों की श्रेणीयों में खड़मदार के हम पूर्ण रूपेण अन्तरण योग्य व विरासत से अधिकृत हैं और खड़मदार वादी फर्म पर अपीलान्टगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के मौरूस सवा, हीरा पिता नन्दा व मेघा वल्दा अणदा डांगी मेवाड़ बन्दोबस्त की जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 में खड़मदार दर्ज थे और अपीलान्टगण उनके वारिस होने से खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 व 2 को एक साथ दर्ज करते हुए केवल मात्र वादग्रस्त भूमि सन् 1955 के अधिनियम से पूर्व ही महादेवजी स्थानदेह के नाम दर्ज होना अभिकथन करते हुए दोनों तनकियां अपीलान्ट के खिलाफ निर्णित कर दी तथा शेष तीनों तनकी प्रकारान्तर में

उक्त प्रभाव से अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के खिलाफ तय कर दी, जो विधि विरूद्ध है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के परिपत्र दिनांक 24–05–2007 के बिन्दु संख्या 4 में यह वर्णित किया गया है कि ऐसी भूमि के संबंध में जो मंदिर माफी की थी के सम्बन्ध में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रेकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में खडमदारों के अधिकारों को संरक्षित किया गया है। मेवाड़ माल कानून की धारा 37 व 38 में भी काश्तकारों के प्रकार में खडमदार वर्णित है। खडमदारों को भूमियां विरासत से मिलने व भूमियों को विक्रय किये जाने का धारा 38 मेवाड़ माल कानूनन में वर्णन है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 959, आर.आर.टी. 2009–10 (Supp) पेज 173 एवं आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 959, आर.आर.टी. 2014–15 (Supp) पेज 138 में यह प्रतिपादित किया गया है कि जब मंदिर जागीरदार हो तथा खडमदार या खातेदार के रूप में निजी काश्तकार दर्ज हो तो उसके अधिकार माने जाते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट/वादीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 तक में खातेदार दर्ज हैं तथा इससे पूर्व की जमाबन्दियों में भी खडमदार के रूप में उनके नाम की प्रविष्टि दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ मन्दिर का नाम दर्ज होने के आधार पर खडमदार की प्रविष्टि का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना अधिकृता के उक्त प्रविष्टि को विलोपित किये जाने पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है, जबकि यह सुस्पष्ट स्थिति है कि मंदिर को सिर्फ लगान लेने का अधिकार है तथा जागीर रिजम्शन के उपरान्त ऐसे प्रकरणों में खडमदारों एवं खातेदारों के हित अधिकार संरक्षित रखने तथा भू–प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार की प्रविष्टियों को बदलने का अधिकार नहीं है तो भी भू–प्रबन्ध विभाग ने अपनी अधिकारिता से परे जाकर ऐसी कार्यवाही की गयी है तो उक्त कार्यवाही के

सन्दर्भ में जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत खडमदारों के अधिकार एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी अविधिक कार्यवारियों पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–06–2014 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उपरोक्त विधिक तथ्यों का विवेचन करने तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में उभयपक्षों को पुनः सुनकर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–01–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

खुमाणसिंह पिता अमरसिंह जी झाला निवासी उदयसागर चौराहा, बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **भंवरसिंह पिता खुमाणसिंह जी झाला निवासी उदयसागर चौराहा, बिछड़ी, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**49 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....29**.....माह.....**10**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**24**....माह.....**05**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हीरालाल कटारिया**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कुन्दनसिंह सोनी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**24**.....माह.....**05**.....**2017** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।